न्यायालय जिला कलक्टर, नागौर

बइजलास–पीयुष समारिया, आई.ए.एस

म्यूटेशन अपील संख्या –173/2022

जी.सी.एम.एस.पोर्टल नम्बर–2022/212

अपीलान्ट	बनाम	रेस्पोडेन्ट्स
रामेश्वरलाल पुत्र मदनलाल जाति ब्राह्मण निवासी खेड़ूली तहसील मेड़ता जिला नागौर, राज0		1. विमलेश उर्फ विमलादेवी पुत्री शंकरलाल जाति ब्राह्मण निवासी सिरासना, तहसील डेगाना जिला नागौर, राज0 2. भगवती पुत्री मदनलाल जाति ब्राह्मण साकिन खेड़ूली तहसील मेड़ता जिला नागौर, राज0 3. रामरतन पुत्र मदनलाल जाति ब्राह्मण साकिन खेड़ूली तहसील मेड़ता जिला नागौर, राज0 4. तहसीलदार, मेड़ता, जिला नागौर ।

उपस्थिति :–

1. अपीलान्ट की ओर से वकील श्री श्री डूंगरराम चौधरी।
2. रेस्पोडेन्ट संख्या–1 की ओर से वकील श्री बाबूलाल खोजा, रेस्पोडेन्ट संख्या–2 व 3 की ओर से वकील श्री धन्नाराम चौधरी, रेस्पोडेन्ट संख्या–4 की ओर से राजपैरोकार श्री ओमप्रकाश पूनिया।

निर्णय **दिनांक** : 23-11-2022

अपीलांट ने धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 के अन्तर्गत ग्राम खेड़ूली का म्यूटेशन संख्या 998 जो तहसीलदार (भू.अ.) मेड़ता द्वारा दिनांक 17.05.2022 को स्वीकृत किया गया है, से व्यथित होकर यह अपील दिनांक 26.05.2022 को प्रस्तुत की गई है। अपीलान्ट की दर्ज रजिस्टर कर, अधिनस्थ न्यायालय का मूल अभिलेख तलब किया गया व रेस्पोडेण्टस् को जरिये सम्मन तलब किया गया।

वकुलाय की बहस सुनी गई। वकील अपीलान्ट ने अपील में प्रस्तुत तथ्यों को दोहराते हुवे बहस में कथन किया कि मौजा खेड़ूली तहसील मेड़ता के खेत हाल खसरा नं. 67, 71, 49, 5 व 53 अपीलांट व फोरमल रेस्पोडेन्ट्स संख्या 2 व 3 के पैतृक खेताय होकर उनके पिता श्री मदनलाल पुत्र श्री किशनलाल के कब्जे काश्त खातेदारी के खेत रहते चले आये। श्री मदनलाल का देहान्त दिनांक 5.6.2005 को हुआ तथा अपीलांट व फोरमल रेस्पोडेन्ट्स संख्या 2 व 3 की माता परमेश्वरी का देहान्त दिनांक 30.7.2016 को हो गया था। अपीलांट व रेस्पोडेन्ट्स संख्या 2 व 3 के भाई बाबूलाल का विवाह रेस्पोडेन्ट संख्या 1 से हुआ था तथा बाबूलाल का देहान्त, पिता श्री मदनलाल के जीवनकाल में दिनांक 30.10.1986 को ईलाज के दौरान कमला नेहरू चेस्ट हॉस्पिटल जोधपुर में हो गया था। श्री बाबूलाल चेस्ट की बीमारी से ग्रसित होने से रेस्पोडेन्ट संख्या 1 अपने पीहर ही रहती थी तथा बाबूलाल की मृत्यु के तीन माह बाद रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व बाबूलाल के पुत्र की मृत्यु हो गयी, जिससे रेस्पोडेन्ट संख्या 1 पूरे समय अपने पीहर में ही रही थी। तथा तुरन्त पश्चात सिरासना के चौधरी श्री शंकरलाल जी के मार्फत बात कर श्री कल्याणमल शर्मा निवासी जेतगढ़ जिला उदयपुर के साथ शादी/पुनर्विवाह कर लिया था। जिससे रेस्पोडेन्ट संख्या 1 श्री मदनलाल के परिवार की बहू नहीं रही अर्थात परिवार की सदस्य नहीं रही तथा रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के द्वारा श्री कल्याणमल के साथ विवाह कर लेने की बात सुनने पर अपीलांट के पिता श्री मदनलाल ने रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के पिता से बात करी तो रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने अपने मृत पति बाबूलाल के घर नहीं रहने व मदनलाल के परिवार से तालुकात नहीं रखना व रिश्ता तोड़ दिये जाने की लिखत कर दिनांक 14.7.1988 को नोटेरी पब्लिक के समक्ष निष्पादित की। इस प्रकार से रेस्पोडेन्ट संख्या 1, बाबूलाल पुत्र मदनलाल की उतराधिकारी नहीं रह गयी थी। जहां बाद भूमाफियो के सिखावे व बहकावे में आकर अपीलांट के भाई बाबूलाल का फर्जी मृत्यु प्रमाण पत्र तैयार कर झुठे कथनों का शपथ पत्र तैयार किया जाकर पूर्व सरपंच से पूर्व तारीख का उतराधिकारी प्रमाण पत्र प्राप्त कर अपीलांट व रेस्पोडेन्ट्स संख्या 2

न्यायालय जिला कलक्टर नागौर (राजस्थान)

कलक्टर नागौर

व 3 की विरासत से मिली पैतृक खातेदारी की भूमियों में मृत बाबूलाल की उतराधिकारी बनते हुऐ दिनांक 17.5.2022 को जैर अपील म्यूटैशन तहसीलदार मेड़ता से कपट करते हुऐ विरासत का म्यूटैशन कपट से स्वीकार करवा लिया। जिससे अपीलांट के खातेदारी हक प्रभावित होते है तथा अपीलांट एग्रीव्ड व्यक्ति होने से यह अपील प्रस्तुत की है।

म्यूटेशन जैर अपील तथ्यो व कानून के विरूद्ध होने से एवं पटवारी हल्का अथवा रेस्पोडेन्ट तहसीलदार ने अपने स्तर पर प्रकरण में अपीलांट अथवा रेस्पोडेन्ट्स संख्या 2 व 3 को नोटिस जारी कर अथवा जुबानी ईतला देकर विरासत के बारे में पूछताछ कर कोई जांच नहीं की और न ही कोई सुनवाई का अवसर दिये बिना ही म्यूटेशन संख्या 998 को रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के पक्ष में स्वीकृत करने में कानूनी भूल की है जिससे आदेश/म्यूटैशन अपील निरस्त लायक है।

अपीलांट के भाई श्री बाबूलाल का देहान्त दिनांक 30.10.1986 को जोधपुर में ईलाज के दरम्यान हो गया जो अपीलांट के पिता मदनलाल जी के जीवनकाल में ही हो गया था। श्री मदनलाल के जीवनकाल में ही रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने श्री कल्याणमल से पुनर्विवाह कर लिया था। ऐसी सुरत में हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के तहत रेस्पोडेन्ट संख्या 1, बाबूलाल की विरासत की उतराधिकारी नहीं रह गयी थी तथा श्री बाबूलाल की सम्पतियाँ रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के कल्याणमल से पुनर्विवाह करने पर मदनलाल अथवा मदनलाल के वारीसान को वापिस लौटेगी अर्थात अपीलांट व रेस्पोडेन्ट संख्या 2 व 3 को लौटेगी। इस प्रकार से रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के अपने मृत पति श्री बाबूलाल की सम्पति में अधिकार समाप्त हो चुके थे। जिससे जैर अपील म्यूटेशन खोला ही नहीं जा सकता था जिससे भी निर्णय/म्यूटेशन जैर अपील निरस्त लायक है।

रेस्पोडेन्ट संख्या 1 खातेदार मदनलाल के जीवनकाल में ही श्री कल्याणमल से पुनर्विवाह कर लिया था जिससे वह मृत बाबूलाल की सम्पति पर अधिकार खौ चुकी थी अर्थात विरासत की उतराधिकारी नहीं रह गयी थी तथा दिनांक 5.6.2015 को मदनलाल की मृत्यु होने पर उनके खातेदारी अधिकार स्वतः ही अपीलांट व रेस्पोडेन्ट संख्या 2 व 3 को विरासत में प्राप्त हुऐ। क्योकि उतराधिकार कभी भी अनुपस्थित नहीं रहता है। जिससे उपरोक्त अपीलाधीन भूमियो में अपीलांट व रेस्पोडेन्ट संख्या 2 व 3 खातेदार थे, जिन्हें नहीं सुन कर रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के मिथ्या शपथ पत्र पर व पूर्व सरपंच के द्वारा बेक डेट में जारी किये हुऐ उतराधिकारी प्रमाण पत्र पर विश्वास करते हुऐ जैर अपील आदेश पारित किया है। जबकि कानून में यह स्पष्ट है कि ग्राम पंचायत का कोई भी सरपंच को अर्थात ग्राम पंचायत को उतराधिकार प्रमाण पत्र देने का अधिकार/क्षेत्राधिकार नहीं है। ऐसी सुरत में आदेश/म्यूटेशन जैर अपील निरस्त लायक है। आदेश जैर अपील म्यूटेशन इललिगल और ऐररनेस होने से भी निरस्त लायक होने का कथन करते हुए वकील अपीलान्ट ने अपील अपीलांट स्वीकार कर म्यूटैशन संख्या 998 वाके मौजा खेडूली तहसील मेडता जिला नागौर को निरस्त किया जाकर संबंधित खसरा नं. 67, 71, 49, 5, 53 वाके मौजा खेडूली के राजस्व रेकर्ड की पूर्व की स्थिति बहाल करने एवं खर्चा अपील अपीलांट को रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 4 से दिलाया जाने का निवेदन किया है। वकील अपीलान्ट ने बहस के समर्थन में आर.आर.टी 2007(1) पेज 733 न्यायिक दृष्टांत प्रस्तुत किया।

वकील श्री धन्नाराम चौधरी ने बहस में अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत अपील स्वीकार करने पर कोई आपत्ति नहीं होने का कथन किया है।

वकील श्री बाबुलाल खोजा ने रेस्पोडेन्ट संख्या–1 विमलेश उर्फ विमला देवी की ओर से बहस में कथन किया कि रेस्पोडेन्ट संख्या–1 विमलेश ने द्वारा तहसीलदार जी मेड़ता के समक्ष आवेदन पत्र दिनांक 06.05.2022 को प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वह स्व0 श्री मदनलाल जी के पुत्र स्व0 बाबुलाल की पत्नी है। मदनलाल जी, बाबूलाल जी एवं उसकी सास स्व0 परमेश्वरी का स्वर्गवास हो चुका है। स्व0 श्री मदनलाल जी के वारिस रामेश्वरलाल, रामरतन, भगवती व स्व0 बाबूलाल की वह स्वंय पत्नी है। स्व0 मदनलाल जी के खातेदारी खेत खसरा नम्बर 65, 467, 471, 649, 653 कुल रकबा 10.26 हैक्टयर ग्राम खेडूली की सरहद में आये हुए है जिन पर मदनलाल जी के उक्त वारिसान का काश्त कब्जा होना अवगत कराते हुए उपर्युक्त खेत खसरान में स्व0 मदनलाल जी के स्थान पर उनके उक्त वारिसान के नाम दर्ज कर म्यूटेशन भरने का निवेदन किया है। उक्त संबंध में रेस्पोडेन्ट संख्या–1 विमलेश द्वारा स्वंय के शपथ पत्र, मदनलाल, बाबूलाल व परमेश्वरी देवी का मृत्यू प्रमाण पत्र तथा सरपंच ग्राम पंचायत खेडूली का उत्तराधिकारी प्रमाण पत्र दिनांक 11.06.2016 प्रस्तुत किये गये। जिस पर अधिनस्थ न्यायालय

कलक्टर नागौर

तहसीलदार जी मेड़ता द्वारा म्यूटेशन जैर अपील स्वीकृत किया गया है, वह पूर्णतया सही स्वीकृत किया गया है। अपीलान्ट का कथन की रेस्पोडेन्ट संख्या–1 ने श्री कल्याणमल से पुनर्विवाह कर लिया था, ऐसी सूरत में हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के तहत रेस्पोडेन्ट संख्या 1 बाबूलाल की विरासत की उतराधिकारी नहीं रह गयी थी। उक्त संबंध में अपीलान्ट द्वारा रेस्पोडेन्ट संख्या–1 व मदनलाल पुत्र किशनलाल द्वारा नोटेरी से तस्दीकशुदा सहमति पत्र दिनांक 14.7.88 एवं पत्र माह सितम्बर,1989 की प्रतियां प्रस्तुत की है। उक्त सहमति पत्र एवं पत्र मात्र से यह विधिक रूप से साबित नहीं हो जाता है कि रेस्पोडेन्ट संख्या–1 द्वारा पुनर्विवाह कर लिया गया है। अपीलान्ट ने रेस्पोडेन्ट संख्या–1 द्वारा तथाकथित कल्याणमल के साथ पुनर्विवाह का विधिमान्य विवाह प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किया है। इसके अलावा कल्याणमल शर्मा पुत्र रामचन्द्र शर्मा द्वारा शपथ पत्र में कथन किया है कि वह रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को नहीं जानता है और उसके साथ स्वंय का विवाह होने के आरोप को झूठा बताया है। इसके अलावा रेस्पोडेन्ट संख्या–1 का मूल निवास, राशन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, आधार कार्ड, में भी अपीलान्ट के पति का नाम बाबूलाल ही दर्ज है, जिनकी प्रतियां एवं शपथ पत्र की प्रति सूची दस्तावेज के साथ प्रस्तुत है। इसके अलावा अपीलान्ट द्वारा न्यायालय श्रीमान् उपखण्ड अधिकारी मेड़ता में उक्त विवादग्रस्त भूमि के बंटवाड़ा व घोषणा खातेदारी का वाद संख्या 147/2016 प्रस्तुत किया हुआ है, जिसमें रेस्पोडेन्ट संख्या–1 द्वारा स्वंय को पक्षकार बनाने बाबत आवेदन पत्र प्रस्तुत करने पर न्यायालय द्वारा रेस्पोडेन्ट संख्या–1 को प्रतिवादी के रूप में पक्षकार बनाया गया है, का कथन करते हुए अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत अपील खारिज करने का निवेदन किया है।

राजपैरोकार ने बहस में वकील रेस्पोडेन्ट श्री बाबूलाल खोजा की बहस का समर्थन करते हुए अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत अपील खारिज करने का निवेदन किया है।

वकील श्री धन्नाराम चौधरी ने अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत अपील को स्वीकार करने पर कोई आपत्ति नहीं होने का कथन किया।

वकुलाय की बहस पर मनन किया। सम्पूर्ण पत्रावली एवं प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्त का ससम्मान अद्योपान्त अवलोकन किया। म्यूटेशन जैर अपील खातेदार मदनलाल के फौत हो जाने से रेस्पोडेन्ट संख्या–1 विमलेश उक्त मदनलाल के पुत्र स्व0 बाबुलाल की पत्नी होने से अन्य वारिसान के साथ–साथ रेस्पोडेन्ट संख्या–1 विमलेश के नाम भी स्वीकृत किया गया है। अपीलान्ट द्वारा रेस्पोडेन्ट संख्या–1 द्वारा पुर्नविवाह कर लेने बाबत कोई प्रमाणिक एवं विधिक साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की है। म्यूटेशन एक संक्षिप्त जॉच कार्यवाही है। इसलिए म्यूटेशन के आधार पर किसी को भी खातेदारी अधिकार प्रोधभूत नहीं होते है। इसके अलावा अपीलान्ट व रेस्पोडेन्ट के मध्य बंटवाड़ा व घोषणा खातेदारी का वाद भी न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मेड़ता में विचाराधीन है। ऐसी स्थिति में अधिनस्थ न्यायालय तहसीलदार मेड़ता द्वारा स्वीकृत नामान्तकरण जैर अपील आदेश में किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है।

अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत यह अपील खारिज की जाती है। अधिनस्थ न्यायालय तहसीलदार मेड़ता को उनका मूल म्यूटेशन मय संलग्न प्राप्त दस्तावेज सहित लौटाते हुए निर्णय की प्रति पालनार्थ भिजवाई जावे।

निर्णय सुनाया गया।

(पीयुष समारिया)
जिला कलक्टर,नागौर
कलक्टर नागौर

न्यायालय जिला कलक्टर नागौर (राजस्थान)